



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226873
CG-DL-E-06052021-226873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]
No. 257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

सा.का.नि. 323(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में, स्तंभ (10) में, स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर "भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता" रखा जाएगा।

[फा.सं. ए-12018/12/2013-प्रशा. III. ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल नियम संख्या सा. का. नि. 976 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा. का. नि. 275 (अ) तारीख 22 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2021

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics Multi Tasking Staff (Group ‘C’ posts,) Recruitment Rules, 2015: -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics, Multi-Tasking Staff (Group ‘C’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics Multi Tasking Staff (Group ‘C’ posts,) Recruitment Rules, 2015, in column (10), for the heading, “Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods” shall be substituted.

[F.No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 976 (E), dated the 16th December, 2015 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 275 (E), dated the 22nd March, 2017.